न्यायालय लैण्डरिकार्ड ऑफिसर(S D O) पीपाड़ शहर(जोधपुर)
पीठासीनअधिकारी, शैतानसिंह राजपुरोहित R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 427/2020

प्रार्थीगण :–
1. जयराम पुत्र हरदेवराम
   जाति माली
2. भंवरलाल पुत्र नेनाराम
   जाति कुम्हार
3. लक्ष्मण पुत्र आईदानराम
   जाति माली
4. अमृतलाल पुत्र कन्हैयालाल
   जाति माहेश्वरी

निवासीगण, पीपाड़ शहर
जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. ओमप्रकाश पुत्र गुदड़राम
2. मगाराम पुत्र गुदड़राम
3. बंशीलाल पुत्र मंगलाराम
4. सोनाराम पुत्र मंगलाराम
5. हीरालाल पुत्र मंगलाराम
6. गोगादेवी पत्नी चैनाराम
7. गटुदेवी पत्नी जयराम
8. गोकलराम पुत्र मादाराम
9. मिश्रीलाल पुत्र मादाराम
10. भूमिधारी जरिये तहसीलदार
    पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री निर्मल कटारिया प्रार्थी की ओर से
श्री पृथ्वीराज चौहान अप्रार्थी सं. 3 की ओर से

निर्णय

दिनांक : 31.03.2021

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है :– प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम पीपाड़ शहर पटवार क्षेत्र पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में खसरा नं. 2502 रकबा 0. 6715 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम आई हुई है जो राजस्व रेकर्ड में सहखातेदारी के रूप में प्रार्थीगण के नाम जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या नया 778 व पुराना 486 में जर्द इन्द्राज है जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है तथा अपने उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे है। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि के चारों तरफ अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 2501, खसरा सं 2503, खसरा सं. 2504, खसरा सं. 2507, खसरा सं. 2508, खसरा सं. 2503 आई हुई है जिसमें अप्रार्थीगण काबिज काश्त है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के खेत एक दूसरे से चिपते हुए स्थित है तथा दोनों पक्षकारान के मध्य खेतो की माठ को लेकर यानि प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 2502 की माठों को लेकर अप्रार्थीगण से हर समय विवाद रहता है। अप्रार्थीगण माठों की तरफ अपना हक व हिस्सा बताते हैं जिससे

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

दोनों पक्षों के मध्य आपसी तनाव रहता है। प्रार्थीगण ने अपने खसरा सं. 2502 के सीमांकन हेतु भूमिधारी तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर हल्का पटवारी द्वारा मौके पर विवाद होने की आशंका जताई जिससे सीमाज्ञान नहीं किया जा सका जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी नहीं करने देना चाहते है इसलिए प्रार्थीगण के पास श्रीमान न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्या कोई विकल्प नहीं है। प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा सं. 2502 का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने के पूर्ण विधिक अधिकार प्राप्त है ताकि प्रार्थीगण को पता चल सके कि उनके खेत की सीमा कहां तक है तथा प्रार्थीगण अपने खेत खसरा सं. 2502 के चारों तरफ चार दिवारी करवाना चाहते हैं जिससे कि खेत की सुरक्षा रहे लेकिन अप्रार्थीगण सीमाज्ञान नहीं करने देते इसलिए प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र पत्थरकढी एवं सीमांकन के लिये प्रस्तुत किया जा रहा है तथा प्रार्थीगण के पास इस प्रार्थना पत्र को न्यायालय के समक्ष पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रार्थीगण के खसरा सं. 2502 की पत्थरगढी एवं सीमांकन करवाने से अप्रार्थीगण को कोई नुकसान नहीं है तथा प्रार्थीगण सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी हेतु आवश्यक दस्तावेज मोमीट्रेसी नक्शा, प्रमाणित जमाबंदी मय नक्शा व उचित राजस्व शुल्क अदा करने हेतु तैयार है। उक्त प्रार्थना पत्र को सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार श्रीमान न्यायालय हाजा को प्राप्त है। उक्त प्रार्थना पत्र उचित न्यायालय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय हाजा से निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में स्थित प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 2502 रकबा 0.6715 हैक्टेयर की पत्थरगढी एवं सीमाज्ञान करवाये जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थीगण सं. 3 की ओर से वकील पृथ्वीराज चौहान ने वकालतनामा पेश किया । अप्रार्थी सं. 1, 2 व 4 से 9 के समन बाद तामिल प्राप्त होने पर भी अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया उनकी सहमति से उनका जवाब बंद किया गया।

हमने बहस वकलाय सुनी तहसीलदार ने पत्थरगढ़ी किये जाने की सहमति प्रदान की शेष वकील अप्रार्थीगण पृथ्वीराज चौहान ने पत्थरगढ़ी की जाने में कोई आपति नहीं की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं वकील प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के आधार पर ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा नं. 2502 रकबा 0.6715 हैक्टेयर भूमि का नाप चौक करवाकर पत्थरगढ़ी करवाई जाना न्याय संगत है। अतः वकील प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व वकील अप्रार्थीगण के सहमति पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 2502 का टीम गठित कर नाप चौक कर रूबरू पक्षकारान के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवा कर पत्थरगढ़ी करावे । इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थी राजकोष में जमा करावे । बाद पैमाईश पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
लैण्डरिकार्ड ऑफिसर(SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 31.03.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
लैण्डरिकार्ड ऑफिसर(SDO)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)